

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

**श्री मो. नदीमुल हक** (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

† **جناب ندیم الحق (مغربی بنگال):** مہودے، میں بھی ماننیے سدسئیے کے ذریعہ اٹھائے گئے موضوع سے خود کو سمبڈ کرتا ہوں۔

**सुश्री दोला सेन** (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

**श्रीमती शांता क्षत्री** (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

#### **Need to conduct simultaneous elections to Parliament and State Assemblies**

**ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.)** (हरियाणा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे देश का और संसद का ध्यान 'एक देश, एक इलेक्शन' की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्ष 1967 के बाद आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त विधायक दल की सरकारों को mid-term बरखास्त किया गया और उससे onwards हमारा देश many election mode या permanent election mode में चला गया, जो देश की manpower resources as well as material resources पर एक बहुत बड़ा ड्रेन और भार है। National Interest को मद्देनजर रखते हुए मैं सभी पार्टिज़, यानी सरकार और अपोजिशन से दरखास्त करूंगा कि इस विषय पर एक consensus achieve किया जाए। यानी वह इत्तिफाक राय हो, in the larger national interest चाहे असेम्बलीज़ का कार्यकाल बढ़ाएं या कोई भी ऐसा process अख्तियार किया जाए, जिससे national resources पर drain न हो और देश continuous election mode में न रहे। मैं यहां एक प्रेस रिपोर्ट भी क्वोट करना चाहूंगा। चीन में कोविड के समय जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ उठकर

† Transliteration in Urdu script.

चलने लगीं, क्योंकि इंडोनेशिया, वियतनाम और इंडिया उनका destination था, उस समय इंडिया के बारे में एक रिपोर्ट छपी कि वह मुल्क continuous election and agitation mode में रहता है। मैं national interest में आह्वान करूंगा कि इस पर बैठकर consensus achieve किया जाए और पांच साल में ही असेम्बलीज़, पार्लियामेंट और शहरी निकायों के चुनाव भी साथ हों, तो देश हित में बहुत अच्छी बात होगी।

SHRI IRANNA KADADI (Karnataka): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI NARAYANA KORAGAPPA (Karnataka): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K.J. ALPHONS (Rajasthan): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SONAL MANSINGH (Nominated): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

**श्री रामचंद्र जांगड़ा** (हरियाणा) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा** (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

**श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा** (गुजरात) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

**श्री विजय पाल सिंह तोमर** (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**श्रीमती रूपा गांगुली** (नाम निर्देशित) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

**श्री रामकुमार वर्मा** (राजस्थान) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**श्री जयप्रकाश निषाद** (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**श्री दीपक प्रकाश** (झारखंड) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**श्री राम विचार नेताम** (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**श्री समीर उरांव** (झारखंड) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**श्री सकलदीप राजभर** (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**श्री कैलाश सोनी** (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**श्री हरनाथ सिंह यादव** (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**श्री हरद्वार दुबे** (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**श्री दुष्यंत गौतम** (हरियाणा) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**श्री गोपाल नारायण सिंह** (बिहार) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

**डा. अशोक बाजपेयी** (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**श्री सुरेन्द्र सिंह नागर** (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**श्री संजय सेठ** (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**श्री विवेक ठाकुर** (बिहार) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**डा. सुमेर सिंह सोलंकी** (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**Need to remove the discrepancies in the *Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana* (PMMVY)**

**श्रीमती छाया वर्मा** (छत्तीसगढ़) : सभापति महोदय, आज का मेरा विषय 'प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना' के संबंध में है। इस योजना में यह होता है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को केंद्र सरकार के द्वारा पांच हजार रुपये की राशि मिलती है। जब महिला गर्भवती होती है, तो जांच के समय पहले एक हजार रुपये मिलते हैं, फिर छठे महीने में दो हजार रुपये मिलते हैं और फिर जब डिलिवरी होती है, उस समय दो हजार रुपये मिलते हैं। इस तरह से कुल पांच हजार रुपये की राशि इस योजना के तहत मिलती है। पोद्दार साहब उस दिन कह रहे थे कि आप लोग केंद्र की योजना की तारीफ नहीं करते हैं। मैं तारीफ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस योजना के बारे में कैसे तारीफ करूँ? इस योजना में अभी पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में आया था कि 51 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत लोगों को इस योजना का फायदा मिल रहा है। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि बाकी लोगों को इसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है? उसका कारण यह है कि इसमें आवेदन को बहुत कठिन कर दिया गया है। यह ऑनलाइन होता है और इसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है। आवेदन को कंप्यूटर और नेट रिफ्यूज कर देता है और बहुत लम्बी-लम्बी लाइनें रहती हैं, जिसके कारण उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पाता है। डिलिवरी के बाद जब बच्चे दो-दो साल के हो जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें वह राशि नहीं मिल पाती है।

महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य बहुत छोटा राज्य है, वहां 21 हजार केस लंबित हैं और एक छोटा जिला गरियाबंद है, जहां नौ हजार केस लंबित हैं। मैं चाहती हूँ कि उसकी प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई महिला पहले महीने में गर्भवती हुई और